

FORM NO.III

फर्द अहकाम  
(नियम 28)

अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

मन्दा

बनाम

रत्न लाल

स्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 37/2022

रीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

24/01/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती मन्दा

पिता श्री उदाजी डंगी

निवासी- डिक्कीया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

डिक्कीया (पहले अराजकी) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 692

कुल कीता 1 कुल रकबा 0.63 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम डिक्कीया स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 692

कुल कीता 1 रकबा 0.63 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नकसे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 50000/- रुपये अक्षरे पत्र की मन्दा प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्मित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(रत्न मुन्दा विम्वेड)  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

/सरिश्ता/प्रा.पत्र 37/2024/50

दिनांक 25/01/22

तहसीलदार  
चित्तौड़गढ़

विषय : पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध में।

प्रकरण : नन्दराम 5।0 उदाजी डांगी 140 ठिकरीया

नाम


— प्रार्थी

- 1- रतनलाल कित्त्या च्याजी डांगी 140 ठिकरीया
- 2- भाग्य कित्त्या मुज्जा डांगी 140 ठिकरीया
- 3- शंकर कित्त्या चतरा डांगी 140 ठिकरीया

— विपक्षीया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

उपरोक्त विषयाकित्त अनवान के प्रकरण में ग्राम ठीकरीया खतौनी सं. 114  
(पहले अरतिप्रापक)  
संवत् 2071-2074 में अकित्त आराजी नम्बर 692  
कुल कित्त्या 1 रकबा 0.63 है. भूमि की  
नियमानुसार मौके पर विवाद रहित पाये जाने पर कब्जे में दखलन्दाजी किये बिना  
पक्षकारों को सूचना देकर सीमाकन (पत्थरगढ़ी) कर दिया जावे। खर्चा कमिश्नर  
शुल्क रुपये 500.00 अक्षरे पांच सौ रुपये मात्र प्रार्थी  
वहन करेगें। पालना रिपोर्ट न्यायालय में (15 दिवस में) शीघ्र भिजावे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सहायक कलेक्टर एवं  
चित्तौड़गढ़  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)